न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 62/2018/अपील/एलआरएक्ट/बांरा

तारीख दायरा: 5.7.2018

अन्तर्गत धारा: 75 एल.आर.एक्ट

उनवान

1. शब्बीर खान पुत्र बशीरखान जाति मुसलमान निवासी घट्टी तहसील छबडा जिला बांरा–राज0।

...अपीलांट

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार छबडा जिला –बांरा

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री श्यामलाल सुमन अभिभाषक अपीलांट
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

:::निर्णय:::

दिनांक 24.9.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बांरा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 11/2018 बउनवान शब्बीर खान बनाम सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 22.5.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 एलआरएक्ट मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम घट्टी तह0 छबडा की भूमि ख0 नं0 102 रकबा 16 बीघा व ख0 नं0 102/3 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा को सेटलमेंट सं0 2012 के अनुसार किस्म गेरमुमकिन पठार के स्थान पर किस्म बजड अव्वल दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 136 बावत इन्द्राज दुरूस्ती अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय दिनांक 22.5.2018 को प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा साक्ष्य सबूत दस्तावेज के अभाव मे खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई गोर नही किया कि सं0 2012 से 2031 की जमाबंदी मे उक्त भूमि की किस्म बंजर अव्वल दर्ज रही है तथा बिना किसी न्यायालय आदेश अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा किस्म तब्दील कर गैर मुमकिन पठार दर्ज कर त्रुटि की है। अपीलार्थी को प्रकरण मे साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नही दिया गया। अत जेरअपील निर्णय दिनांक 22.5.2018 अपास्त किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपील विषयक आराजी ख0 नं0 102 रकबा 16 बीघा व ख0 नं0 102/3 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा की पूर्व मे किस्म बजड अव्वल दर्ज रही है। सेटलमेंट सं0 2012 से 2031 मे गेरमुमकिन पठार दर्ज कर दिया। उक्त आराजी पर अपीलार्थी का कब्जा है। भूमि की किस्म बजंड अव्वल से गेरमुमकिन पठार बिना किसी सक्षम आदेश अथवा न्यायालय आदेश के तब्दील किया गया है जिसका उन्हे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गोर नही किया।

अति० सं० आयु०
कोटा

ना ही कोई साक्ष्य सबूत लिये गये तथा ना ही अपीलार्थी को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया गया। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय न्यायोचित नही है। अपने तर्क के समर्थन मे आरबीजे (22) 2015 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये जेरअपील आदेश अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही होने का कथन करते हुये अपील अपीलांट खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख तथा प्रकरण मे प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आरबीजे (22) 2015 का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सं0 2024–26 नकल खतोनी बदोबस्त सं0 2012–31 ग्राम घट्टी नकल जमाबंदी सं0 2073–76 का अवलोकन किया गया। मुताबिक नकल खतोनी बदोबस्त सं0 2012–31 ग्राम घट्टी के ख0 नं0 102 रकबा 56 बीघा 9 बिस्वा की किस्म बंजर अव्वल दर्ज रही है। जबकि जमाबंदी सं0 2073–76 मे ख0 नं0 102 रकबा 16 बिस्वा व ख0 नं0 102/3 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा गे.मु.पठार दर्ज है। उक्त राजस्व रिकार्ड अनुसार भूमि की पूर्व मे दर्ज किस्म बजड अव्वल को तब्दील कर गेरमु.पठार दर्ज किया जाना प्रकट होता है जबकि बिना किसी सक्षम आदेश अथवा न्यायालय आदेश के भूमि की किस्म परिवर्तन अथवा राजस्व अभिलेखों मे परिवर्तन करने का भू प्रबन्ध विभाग को कोई अधिकार प्राप्त नही है। इस संबध मे विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रकरण मे प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आरबीजे (22) 2015 चस्पा होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर नही किया तथा ना ही तहसीलदार से प्रकरण मे मुताबिक राजस्व रिकार्ड कोई रिपोर्ट प्राप्त की। अपीलार्थी को साक्ष्य एवं सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपने जेरअपील निर्णय दिनांक 22.5.2018 मे विवेचित किया है कि "नियमानुसार किस्म पठार की आराजी को आवंटन नियमन किया जाना न्याय संगत नही है अतः प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है"। जबकि प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा किस्म दुरूस्ती किये जाने का अनुतोष चाहा गया है आवंटन की मांग नही की गई है। अतः विवेचित तथ्यों के आलोक मे हम अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील निर्णय को न्यायोचित नही पाते है। फलत् अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय/आदेश 22.5.2018 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित/रिमांड किया जाता है कि प्रकरण मे विवेचित आराजी के संबध मे तहसीलदार से मुताबिक राजस्व रिकार्ड वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्राप्त कर मिलानक्षेत्रफल से जांच कर अपीलार्थी को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का विधिवत अवसर प्रदान करते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

6 निर्णय आज दिनांक 24.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा